भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2156

जिसका उत्तर सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया

उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण

2156. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:
श्री इर्श्वरस्वामी के.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के गरीब और जरूरतमंद छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक बैंक द्वारा शिक्षा ऋण स्वीकृत करने और संवितरित करने के समय संबंधित छात्र की गैर-कृषि भूमि को गिरवी रखा जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने छात्रों को शिक्षा ऋण स्वीकृत करने और संवितरित करने के समय बैंक द्वारा गैर-कृषि भूमि को गिरवी रखने की शर्त को समाप्त करने हेतु कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने भारत में बढ़ते हुए छात्र ऋण संकट के प्रमुख कारकों पर कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शिक्षा ऋण के संबंध में सरकारी सहायता और नीतिगत ढांचे की क्या कमियां हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार की गई मॉडल शिक्षा ऋण योजना अपनाने की सलाह दी गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- इस योजना के अंतर्गत आवश्यकता आधारित शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है।
- 7.50 लाख रुपए तक की ऋण राशि के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति या तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि वे केन्द्रीय क्षेत्र की ब्याज सहायता योजना (सीएसआईएस)/शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसईएल) के लिए पात्र हो।
- 4 लाख रुपए तक के ऋण के लिए कोई मार्जिन राशि नहीं रखी गई है।
- सभी मामलों में अध्ययन अवधि तथा इसके पश्चात् एक वर्ष के लिए अधिस्थगन अवधि की अनुमति दी गई है।

- चुकौती अवधि (अधिस्थगन के बाद) सभी ऋणों के लिए 15 वर्ष तक उपलब्ध है।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को स्वीकार्य उपयुक्त मूल्य की मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति केवल शिक्षा ऋण के लिए ली जा सकती है, यदि ऋण की राशि 7.50 लाख रुपए से अधिक हो और इसका निर्धारण मामला दर मामला पर किया जाता है।

पीएसबी ने यह भी सूचित किया है कि ऋणों के लिए संपार्श्विक के तौर पर गैर-कृषि भूमि को लिया जा सकता है, क्योंकि कृषि भूमि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुरूप नहीं है।

पीएसबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यह देखा गया है कि खातों की संख्या और संवितरित राशि के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि क्रमशः 17% और 14.8% थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

	2022-23	**2023-24**
ऋण खातों की संख्या	6,29,594	7,36,580
संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)	24,997	28,699
स्रोत: पीएसबी		

इसके अतिरिक्त, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) केन्द्रीय क्षेत्र की ब्याज सहायता योजना (सीएसआईएस) को कार्यान्वित करता है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों, जिनकी पारिवारिक आय 4.50 लाख तक है, के द्वारा भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत लिए गए 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋणों पर अधिस्थगन (पाठ्यक्रम अवधि और इसके पश्चात् एक वर्ष तक) तक पूर्ण ब्याज सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2024-25 में अन्य बातों के साथ-साथ एक लाख युवाओं, जो सरकारी योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं हैं, को देश में स्थित संस्थानों से उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% की वार्षिक ब्याज सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

******